<u>दिनांक 12.5.2005 को महायोजना बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति</u>

1.	आयुक्त	
2.	सचिव, आवास	डा0 सुभाष कुमार
3.	सचिव, वित्त	श्री पी0 सी0 शर्मा
4.	उपाध्यक्ष	श्रीमती राधा रतूड़ी
5.	जिलाधिकारी	डा0 दिलबाग सिंह
6.	मुख्य नगर अधिकारी	श्रीमती मनीषा पंवार
7.	प्रभारी अधि0, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	श्री पी0के0मुलासी
8.	मुख्य अभियंता, उत्तरांचल पेयजल	श्री वृज वी0 रतन
		भजनसिंह

12/5

अन्य उपस्थिति –'

1. सचिव, म0दे0वि0 प्रा0
2. महाप्रबन्धक, जल संस्थान,
3. अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
4. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी

बोर्ड का निर्णयः— मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान के अन्तिम रूप दिये जाने के सम्बन्ध में।

आज दिनांक 12.5.05 को बोर्ड के सदस्यो द्वारा चर्चा के दौरान यह कहा गया कि प्राधिकरण की पूर्व बैठक दिनांक 19.11.04 मे यह निर्णय लिया गया था कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अर्न्तगत देहरादून विकास क्षेत्र की महायोजना प्रारूप को 30 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष का कर दिया जाय तथा चायबागान की जमीन को कोर कैपिटल एरिया न दिखाकर चायबागान की जमीन को चायबागान ही रहने दिया जाय। प्राधिकरण की 64वी बोर्ड बैठक दिनांक 29.3.05 में लिये गये निर्णयानुसार उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की अब तक 05 बैठके की गयी किन्तु अपेक्षित सूचनाऐं प्राप्त नहीं हुई है अतः प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त गठित समिति प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के साथ क्षेत्र भ्रमण कर दिनांक 26.5.05 तक अपनी रिपोर्ट हर हालत में प्रस्तुत करेगी। मास्टर प्लान की Printing का समस्त व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने के निर्देश भी दिये गये।

महायोजना के सम्बन्ध में प्राधिकरण की पुनः बैठक दिनांक 26.5.05 को प्रातः 11.00 बजे लिये जाने का निर्णय भी लिया गया।

12/5 12/5/05 N.C. 12/5/05

12/5 12/5